an>

Title: Regarding problems faced by orphan children in the country.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, आप ममता की प्रतिमूर्ति हैं। मैं जिन अनाथ बच्चों के विषय को सदन में उठाना चाहता हूं, उसमें आपका संरक्षण भी चाहता हूं। देश में हर भाÂषा हजारों की संख्या में बच्चे अपहरण के कारण या मां-बाप का निधन हो जाने के कारण अनाथ जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। माता-पिता के नहीं होने के कारण उनकी जातिगत, सामाजिक, आर्थिक पृÂष्ठभूमि का भी पता नहीं लग पाता है और साथ ही उनकी जन्मतिथि का भी पता नहीं लग पाता है। यदि बच्चा दिव्यांग पैदा होता है गूंगा, बहरा या अंधा होता है तो बहुत से माँ-बाप गरीब होने के कारण ऐसे बच्चों को लावारिस छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों को यदि अच्छा संरक्षण मिल जाता है, तो उनका जीवन संवर जाता है अन्यथा आपराधिक तत्व ऐसे बच्चों का अपहरण करके अपने संरक्षण में लेकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल कर लेते हैं। विडम्बना इस बात की है कि देशभर में शासकीय या एनजीओज़ द्वारा चलाए जाने वाले अनाथालय लगभग 1137 अनाथालय चल रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश, बिहार, महाराÂष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य हैं लेकिन इनमें अनाथालयों की संख्या बहुत कम है। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सिर्फ 32 अनाथालय हैं। मणिपुर में भी 32 अनाथालय हैं। तमिलनाडु में लगभग 221 अनाथालय हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सिर्फ 44 अनाथालय हैं। पश्चिम बंगाल में सिर्फ 50 और दिल्ली में केवल 22 अनाथालय हैं। महाराÂष्ट्र में 70 और हिमाचल प्रदेश में 25 तथा बिहार में केवल 21 अनाथालय हैं।

महोदया, मेरा कहना है कि अपनों से पिछड़े जो बच्चे हैं, इन्हें मिलाने का काम करने वाले जो अनाथालय हैं, इन अनाथालयों का ध्यान बच्चों के संरक्षण की तरफ कम होता है और अनुदान पर ज्यादा होता है। देश में ऐसे अनाथालयों में बच्चों के साथ यातनाओं की खबरें भी आए दिन आती रहती हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि पूर्व में जो अनाथालय चल रहे हैं, उनकी व्यवस्था को सुधारने की दिशा में कदम उठाए जाएं और वहां उदासीनता करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़े कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही राज्यों की जनसंख्या के हिसाब से ज्यादा अनाथालय खोलकर ऐसे अनाथ बच्चों को संरक्षण देने का काम किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्रीमती अंजु बाला, श्रीमती प्रियंका सिंह रावत, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री अनूप मिश्रा और श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा को डॉ. वीरेन्द्र सिंह द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।